

23.07.2024

पत्रावली पेश हुई।  
 वडीगाव एवं अधिवक्ता वडीगाव अनुपस्थित।  
 रुक-रुक कर तीन बार आवाज लगवाई  
 गई कावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं।  
 इसके प्रति होगा है कि वडीगाव एवं  
 अधिवक्ता वडीगाव अपने दावे को लेकर  
 गम्भीर नहीं हैं अतः दावा अदम हाजिरी  
 अदम पैरवी इसी स्तर पर खारिज  
 किया जाता है।

पत्रावली फेलत शुभार  
 होकर नम्बर से कम को जाकर  
 दाखिल दफ्तर से। (पुनी)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
 (फास्टट्रेक) सांचौर

